रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 11, 1937

No. 1416] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASHADHA 11, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

□दश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

का.□. 1797(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह, 3 जुलाई, 2015 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय प्रदाय, वितरण या भंडारण के संबंध में प्रयुक्त शब्दों और पदों को, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वस्तु अर्थात् प्याज के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।

3. इस आदेश की कोई बात राज्य से बाहर के स्थानों को प्याज के परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी न ही यह इस वस्तु के आयात को लागू होगी।

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे प्याज के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

[फा. सं. एस-10/1/2015-ईसीआरएंडई]

जी. गुरूचरण, अपर सचिव

टिप्पण : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा0का0नि0 104(अ) तारीख 15 फरवरी, 2002, द्वारा प्रकाशित किया गया था और का0आ0 1685(अ) तारीख 03.07.2014 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2015

S.O. 1797(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:–

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the 3rd day of July, 2015.

2. The words and expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, shall be kept in abeyance for commodity onion for a period of one year from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of onion to places outside the State nor shall it be applicable to import of this commodity:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipt of stock of onion and its stock retained by them.

[F. No. S.-10/1/2015-ECR & E]

G. GURUCHARAN, Addl. Secy.

Note: -The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 104 (E), dated the 15th February, 2002 and was lastly amended *vide* S.O. 1685 (E) dated the 3rd July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.